रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 1992/पौष 16, 1913
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 1992/PAUSA 16, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1992

का. आ. 13(अ):--जबकि गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मद्रास अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1957 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक मसौदा भारत सरकार, जल-परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 2246 दिनांक 7 अगस्त, 1991 के साथ दिनांक 24 अगस्त, 1991 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि में संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे ।

और जबकि उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां 16 सितम्बर, 1991 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी और इस संबंध में जनता से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अब एतद्द्वारा मद्रास अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्.--

स्कीम

1. (1) इस स्कीम का नाम मद्रास अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1992 है ।

(2) यह राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2 मद्रास अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम 1957 में,

(i) खंड (3) के उपखंड (ज) में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

(ii) खंड 4 के उप खंड (ख) "सूचीबद्ध नियोजक और" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(iii) खंड 4कक के उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

(4) खंड 5 के उपखंड (1) में, मद (ड) के पश्चात् निम्नलिखित नई मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

(ढ) "नए नियोजकों को सूचीकृत करने पर विचार करना,

(5) खंड 8 में:--

(क) उपखंड (3) और (4) में:--

(1) "बोर्ड" शब्द के स्थान पर जहां कहीं वह आता है "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा,

(2) "वह" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, वह" शब्द रखा जाएगा,

(ख) उपखंड (5) में, 'अधिवेशन में बोर्ड" और "बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

(6) खंड II में, उपखंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(10) कोई सूचीकृत नियोजक अध्यक्ष के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना बोर्ड द्वारा नियोजक के रूप में सूचीकरण करने में या उसके अधीन किसी हित या सुविधा को किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित नहीं करेगा, अन्तरित नहीं करेगा या किसी रीति से उससे अलग नहीं होगा।"

(7) खंड 14 के उपखंड (2) में, मद (ख) में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

(8) खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15. नियोजकों द्वारा अपील--(1) कोई सूचीकृत नियोजक जो खंड 14 के अधीन किसी आदेश से व्यथित है, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा:--

(क) उपाध्यक्ष, को, यदि आदेश खंड 14 (1) (i) के अधीन कार्मिक अधिकारी द्वारा दिया गया था, अथवा

(ख) अध्यक्ष को, यदि आदेश उपाध्यक्ष द्वारा खंड 14 (2) (क) के अधीन अपने मूल आदेश के रूप में दिया गया था, या

(ग) केन्द्रीय सरकार को, यदि आदेश उपाध्यक्ष द्वारा खंड 14(2) (ख) के अधीन अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया गया था ।

(2) खंड 8 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से अपील कर सकेगा,

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् की गई अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(3) उपखंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उस आदेश की प्राप्ति के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, 14 दिन के भीतर की जाएगी ।"

[फा. सं. एल बी-13013/20/88--एल-4]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1992

S.O. 13(E).—Whereas a draft Scheme further to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation Employment) Scheme, 1957, was published, as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing), No. S.O. 2246, dated the 8th August, 1991, in the Gazette of India. Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 24th August, 1991, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date of the copies of the said Official Gazette being made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on 16th September, 1991 and no objections or suggestions have been received from the public in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, namely :—

SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1992.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. In the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957.

(i) in sub-clause (h) of clause 3, for the word "Board", the word "Chairman" shall be substituted.

(ii) in clause 4, in sub-clause (b), the words "listed employers and" shall be omitted.

(iii) in clause 4AA, sub-clause (c) shall be omitted;

(iv) in clause 5, in sub-clause (1), after item (m), the following new item shall be substituted, namely :—

"(n) to consider listing of new employers".

(v) in clause 8,—

(a) in sub-clauses (3) and (4),—

(1) for the word "Board", wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted:

(2) for the word "it", wherever it occurs, the word "he" shall be substituted;

(b) in sub-clause (5), for the words "Board-in-meeting" and "Board", the word "Chairman" shall be substituted;

(vi) in clause 11, after sub-clause (9), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(10) A listed employer shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the listing as employer by the Board to any other person without prior approval in writing of the Chairman.";

(vii) in clause 14, in sub-clause (2), in item (b), for the word "Board", wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;

(viii) for clause 15, the following clause shall be substituted, namely :—

"15. Appeals by employer.—(1) A listed employer who is aggrieved by an order under clause 14, may appeal,—

(a) to the Deputy Chairman, if the order was made by the Personnel Officer under clause 14(1)(i); or

(b) to the Chairman, if the order was made by the Deputy Chairman, as his original order under clause 14(2) (a); or

(c) to the Central Government, if the order was made by the Deputy Chairman with the approval of the Chairman under clause 14(2)(b).

(2) Any person aggrieved by any order against him under clause 8, may appeal in writing to the Central Government within 30 days of the receipt of the order :

Provided that the Central Government, may, for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 30 days.

(3) Every appeal referred to in sub-clause (1) shall be in writing and preferred within 14 days of the receipt of the order appealed against."

[F No. LB-13013/20/88-L.IV]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992